

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी लक्ष्मीनारायण न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल गोहद में निरुद्ध, द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

आरोपी नरेश बघेल एवं गुड्डीबाई सहित श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।

प्रकरण आज कमिटल तर्क हेतु नियत है।

यह आदेश आरक्षी केंद्र एण्डोरी की ओर से प्रस्तुत अपराध क्रमांक 21/17 अन्तर्गत धारा 304 बी सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं धारा 03/04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अभियोग पत्र के आधार पर अपराध के उपापण के सम्बन्ध में किया जा रहा है।

अभियुक्तगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं।

अभियोजन का मामला संक्षेप में सारतः इस प्रकार से है कि दिनांक :- 13-14/02/2017 की दरम्यानि रात्रि मृतिका मिथलेश की उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक रूप से गले में फंदा लगकर संदेहास्पद परिस्थितियों में ससुराल ग्राम पड़राई में मृत्यु हो जाने की सूचना दिनांक : 14/02/2017 को उसके पिता अमर सिंह निवासी :- ग्राम जनौरा द्वारा दी जाने पर, थाना :- एण्डोरी के थाना प्रभारी यतेन्द्र सिंह द्वारा मृतिका की ससुराल ग्राम पड़राई जाकर जीरो पर मर्ग कायमी की गई। उक्त जीरो के मर्ग के आधार पर थाना एण्डोरी में मूल मर्ग क्रमांक 04/17 अन्तर्गत धारा 174 द.प्र.सं पंजीबद्ध किया गया और मर्ग जांच के उपरान्त आरोपीगण लक्ष्मीनारायण, आशाराम, गुड्डीबाई एवं नरेश के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक : 02/03/2017 को थाना एण्डोरी में लेखबद्ध की गई और अपराध क्रमांक 21/2017 अन्तर्गत धारा 304 बी सहपठित धारा 34 भा.द. सं. एवं 03/04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। फरियादी अमर सिंह से मृतिका मिथलेश की प्राथमिक कक्षा की अंकूसची, मिथलेश की कथई-गोल्डन रंग की चूड़ी, बैगनी रंग की चप्पल एवं शादी का कार्ड जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाये गये। तत्पश्चात् फरियादी अमर सिंह, साक्षी प्रमोद, केशकली, गब्बर सिंह एवं लायकराम के कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं लेखबद्ध किये गये। विवेचना के

उपरांत आरोपीगण लक्ष्मीनारायण, नरेश एवं गुड्डीबाई के विरुद्ध अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा 304 बी सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं धारा 03/04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपचारी बालक आशाराम के विरुद्ध पृथक से किशोर न्यायबोर्ड के समक्ष कार्यवाही की गई।

उभयपक्ष को सुनने के बाद प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरुद्ध धारा 304 बी सहपठित धारा 34 भा.द.सं. एवं धारा 03/04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्टया उचित आधार प्रतीत होते हैं। उक्त अपराधों में से धारा 304 बी भा.द.सं. के विचारण का अधिकार अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड को उपार्पित किया जाता है।

अभियुक्तगण नरेश बघेल एवं गुड्डीबाई प्रतिभूति पर मुक्त है एवं अभियुक्त लक्ष्मीनारायण न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल गोहद में निरुद्ध है। आरोपीगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र. सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं। आरोपीगण नरेश एवं गुड्डीबाई को निर्देशित किया जाता है वह आगामी नियत तिथि 18/08/2017 को आवश्यक रूप से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद, जिला-भिण्ड के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे एवं आरोपी लक्ष्मीनारायण के जेल वारंट पर यह टीप अंकित की जाये, कि उसे आगामी नियत तिथि 18/08/2017 को आवश्यक रूप से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद, जिला-भिण्ड के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखा जाये।

प्रकरण के कमिटल की सूचना जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक व मालखाना नाजिर गोहद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली संचित कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के न्यायालय में भेजी जावे।

पंकज शर्मा  
जे.एम.एफ.सी. गोहद